उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
8/2021/संख्या-596/सामान्य-का-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक: 28 जून, 2021

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के संबंध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303/2020 दिनांक 09.04.2021, संख्या-02/2021/07/भा0स0/का-4-2021-303/2020 दिनांक 21.04.2021, संख्या-03/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020 दिनांक 28.04.2021 तथा संख्या-5/2021/संख्या-सामान्य/549/का-4-2021-303/2020 दिनांक 7.05.2021 को अवक्रमित करते हुये निम्नवत व्यवस्था की जा रही है:-

(1) प्रदेश के सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेगें, किन्तु संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हों, इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ प्रश्नगत कार्यालयों में सेनिटाईजेशन, फेस मास्क, फेस्क कवर, सोशल डिस्टैसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखेंगे । प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे ।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

(3) संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किये जाने अथवा उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय लिया जायेगा ।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

8/2021/<u>संख्या-596/सामान्य-का-4-2021-303/2020</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिता वेबसाइट htt://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in